भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई-न्यूजलेटर

अगस्त 2024

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने प्रथम विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) 2024 के पूर्वावलोकन (कर्टेन रेजर) कार्यक्रम की शोभा बढाई तथा द अशोक, नई दिल्ली में दिनांक 13 जुलाई 2024 को आयोजित सीईओ गोलमेज कार्यक्रम में भाग लिया।

परामर्श

(1) भादूविप्रा द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2024 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों के लिए रूपरेखा" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 21.06.2024 के अपने एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है; अधिनियम की धारा 3(1)(क) में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक किसी भी संस्था/व्यक्ति द्वारा प्राधिकार प्राप्त करने का प्रावधान है, जो कि विनिर्धारित शुल्क या प्रभार सहित ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने उक्त पत्र के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(क) के तहत भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार हेतु शुल्क या प्रभार सहित नियम व शर्तों पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया।

इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.07.2024 को 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों के लिए रूपरेखा' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। उक्त परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से क्रमशः दिनांक 01.08.2024 तक लिखित टिप्पणियाँ और दिनांक 08.08.2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_11072024_0.pdf

(2) भादूविप्रा ने दिनांक 26 जुलाई 2024 को "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया"

हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 26 जुलाई 2024 को "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा" विषय पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 16 अगस्त 2024 है और प्रति-

टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 23 अगस्त 2024 तक हैं। परामर्श पत्र का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क (टैरिफ) प्रस्तावों से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करना है। इस संबंध में, कई मुद्दों अर्थात "टैरिफ उपलब्धता की पसंद" और "वाउचर की वैधता" पर परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के लिए "दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ और संबंधित मुद्दों" के संबंध में भादूविप्रा के तत्वावधान में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया। इसके अलावा, दूरसंचार उद्योग के अनुरोध पर विचार करते हुए "वाउचरों की रंग कोडिंग" और "मूल्यवर्ग वाउचर" के मुद्दे को भी परामर्श के लिए चिह्नित किया गया है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_26072024.pdf

विनियमन

भादूविप्रा ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे में किया गया संशोधन को अधिसूचित किया।

भादूविप्रा ने दिनांक 8 जुलाई 2024 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 (2024 का 1), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 4), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणाली) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 3) जारी किए। कुछ खंडों को छोड़कर ये संशोधन, आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के बाद लागू होंगे। इन संशोधनों के प्राथमिक उद्देश्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) विनियामक अनिवार्यताओं और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करके प्रसारण क्षेत्र के विकास को सुगम बनाना।
ख) पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के माध्यम से उपभोक्ताओं और छोटे प्लेयर्स के हितों की रक्षा करते हुए सेवा प्रदाताओं को बाजार संचालित दृष्टिकोण अपनाने के लिए लचीलापन प्रदान करना।
ग) विनियामक प्रावधानों को सरल बनाकर व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना।

इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

टैरिफ आदेश:

- नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) पर 200 चैनलों के लिए 130 रुपये और 200 से अधिक चैनलों पर 160 रुपये की सीमा को हटा दिया गया है और इसे बाजार संचालित और न्यायसंगत बनाने के लिए फ़ोरबियरेंस के तहत रखा गया है। सेवा प्रदाता अब चैनलों की संख्या, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न ग्राहक वर्गों या इनके किसी भी संयोजन के आधार पर अलग-अलग एनसीएफ चार्ज कर सकते हैं।

- डीपीओ को अब अपने बुके बनाते समय 45% तक की छूट देने की अनुमति दी गई है ताकि उन्हें बुके बनाने में लचीलापन मिल सके और उपभोक्ताओं को आकर्षक सौदे पेश किए जा सकें। यह छूट पहले केवल 15% तक की थी।

- सार्वजनिक सेवा प्रसारक के डीटीएच प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के उपलब्ध पे चैनल को सभी एड्रेसेबल वितरण प्लेटफार्मों के लिए भी चैनल के प्रसारक द्वारा फ्री-टू-एयर घोषित किया जाना चाहिए ताकि सभी को इस संबंध में समान अवसर मिल सके।

- डीपीओ को अपने प्लेटफॉर्म सेवाओं का टैरिफ घोषित करने का आदेश दिया गया है।

अंतर्संयोजन विनियम:

- एचडी टेलीविजन सेटों के प्रसार और हाई-डेफिनिशन सामग्री के प्रसारण को प्रोत्साहित करने के लिए, कैरिज शुल्क के उद्देश्य से एचडी और एसडी चैनलों के बीच अंतर को हटा दिया गया है।

- कैरिज शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया गया है और कैरिज शुल्क के लिए केवल एक ही सीमा निर्धारित करके प्रौद्योगिकी तटस्थ बनाया गया है, जिससे डीपीओ को उचित समझे जाने पर कम कैरिज शुल्क लेने का विकल्प प्रदान किया गया है।।

सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) विनियम:

- स्थापना और सक्रियण, विज़िट, स्थानांतरण और अस्थायी निलंबन जैसी सेवाओं के लिए

शुल्क जो पूर्व में विनियमन के तहत विनिर्धारित किए गए थे, अब उन्हें रोक के तहत रखे गए हैं। उपभोक्ताओं को स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए डीपीओ को अपनी सेवाओं के शुल्क प्रकाशित करने होंगे।

- छोटे डीपीओ के लिए कुछ विनियामक अनुपालन में ढील।
- उपभोक्ताओं के लिए अधिक स्पष्टता हेतु सभी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन की अवधि/अवधि/वैधता केवल दिनों की संख्या में विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- डीपीओ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों के लिए एमआरपी के साथ वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी) प्रदर्शित कर सकते हैं।
- डीपीओ ईपीजी में 'प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ' शैली के अंतर्गत प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनलों को वर्गीकृत करेंगे।
- डीपीओ को पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म सेवा के सामने ईपीजी में प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनल की संबंधित एमआरपी प्रदर्शित करनी होगी।
- डीपीओ को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म सेवा को सक्रिय/निष्क्रिय करने का विकल्प प्रदान करना होगा।

वित्तीय निरुत्साहन :

- सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ आदेश के प्रावधानों और इंटरकनेक्शन विनियमन तथा सेवा गुणवत्ता विनियमन के कुछ अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वित्तीय निरुत्साहन लागू किए गए हैं।

➢ सेवा प्रदाताओं को टैरिफ और अन्य शुल्कों से संबंधित सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी, जिन्हें अब फ़ोरबियरिंग के तहत रखा गया है। इसके अलावा, उन्हें सब्सक्राइब किए जा रहे प्लान से संबंधित टैरिफ और अन्य शुल्कों के बारे में ग्राहकों को बताना होगा।

संशोधित टैरिफ आदेश/विनियमों को निम्नलिखित लिंक या क्यूआर कोड से देखा जा सकता है।

चौथा संशोधन टैरिफ आदेश:

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_Tariff_4th_amd_08072024_0.pdf

अंतर्संयोजन विनियमों का छठा संशोधन:

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_Interconnectionj_6th_08072024_0.pdf

सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) विनियमों का चौथा संशोधन:

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_qos_4th_08072024_0.pdf

अनुशंसाएं

भादूविप्रा ने दिनांक 08 जुलाई 2024 को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविजन चैनलों को सूचीबद्ध करने और डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल सिस्टम में अपग्रेड करने के संबंध में अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं।

भादूविप्रा ने दिनांक 8 जुलाई 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को 'इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविजन चैनलों की लिस्टिंग और डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल सिस्टम में अपग्रेड करने' पर अपनी अनुशंसाएं जारी कीं।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों की सूची:

प्रत्येक चैनल को अनुमति देते समय, एमआईबी इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 के अनुसार प्रत्येक चैनल की प्राथमिक भाषा और प्रत्येक गैर-समाचार चैनल की उप-शैली के बारे में प्रसारकों से जानकारी मांगेगा और एमआईबी के प्रसारण सेवा पोर्टल पर इसे प्रदर्शित करेगा, ताकि डीपीओ वर्तमान विनियमन के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा आसान नेविगेशन के लिए ईपीजी में चैनल को उचित स्थान पर रख सकें।

डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल प्रणाली में अपग्रेड करना:

- देखने के अनुभव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पाइरेसी से निपटने के लिए टेलीविजन चैनलों के अनधिकृत पुनः प्रसारण को रोकने और ग्राहकों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, प्रसार भारती डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को नॉन-एड्रेसेबल सिस्टम से एड्रेसेबल सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए कदम उठाएगा और अपलिंकिंग से पहले डीडी फ्री डिश हेडएंड पर निजी

सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के सिग्नल को एन्क्रिप्ट करके इसकी शुरुआत करेगा।

- एमआईबी द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी होने के पश्चात सार्वजनिक सेवा प्रसारकों को **TRAI** विनियमों से अपेक्षित छूट प्रदान की जाएगी।
- प्रसार भारती कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस), सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) और इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है।
- प्रसार भारती को डीडी फ्री डिश के लिए इंटरऑपरेबल एसटीबी को अपनाना चाहिए ताकि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ऑपरेटर-आधारित एसटीबी से इंटरऑपरेबल एसटीबी में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जा सके ताकि उपभोक्ताओं की पसंद को सशक्त बनाया जा सके। इससे हर बार सेवा प्रदाता बदलने पर एसटीबी बदलने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- प्रसार भारती द्वारा एसटीबी की बिक्री और बिक्री के बाद की सेवा के लिए विनिर्माताओं और वितरकों को प्राधिकृत करने के साथ-साथ डीडी फ्री डिश को नॉन-एड्रेसेबल से एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने के लिए एक रोडमैप एमआईबी को सुझाया गया है। **vi.** एमआईबी निजी डीपीओ को इंटरऑपरेबल एसटीबी अपनाने और लागू करने का निर्देश दे सकता है।

उपर्युक्त अनुशंसाओं की विस्तृत मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित लिंक या क्यूआर कोड से प्राप्त की जा सकती हैं।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_08072024_0.pdf

खुला मंच चर्चा

" आईएमटी के लिए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5- 40 गीगाहर्ट्ज, और 42.5- 43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी" विषय पर जारी परामर्श पत्र पर दिनांक 10.07.2024 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

भादूविप्रा ने दिनांक 10 जुलाई 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "आईएमटी के लिए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5- 40 गीगाहर्ट्ज और 42.5- 43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी" विषय पर जारी परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की।

उक्त ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) के लिए गए कुछ वीडियो नीचे संलग्न हैं:

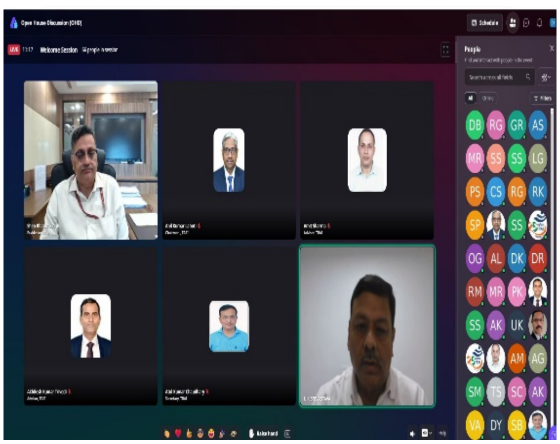

घटनाक्रम

- भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने प्रथम विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) 2024 के पूर्वावलोकन (कर्टेन रेजर) कार्यक्रम की शोभा बढाई और द अशोक, नई दिल्ली में दिनांक 13 जुलाई 2024 को आयोजित सीईओ गोलमेज कार्यक्रम में भाग लिया।

- भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने थाईलैंड (16-18 जुलाई 2024) में आयोजित 24वें एपीटी नीति एवं विनियामक फोरम के विनियामक गोलमेज सम्मेलन में ऑनलाइन बात की। उन्होंने दिनांक 16 जुलाई 2024 को 'समावेशी एवं सार्वभौमिक डिजिटल परिदृश्य के लिए अनुकूल आईसीटी नीतियों एवं विनियमों' विषय पर अपने विचार साझा किए।

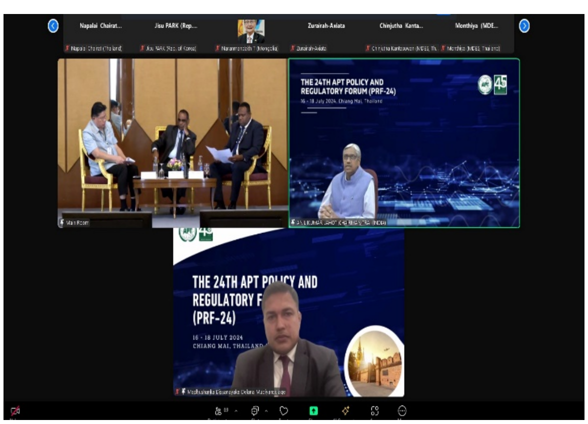

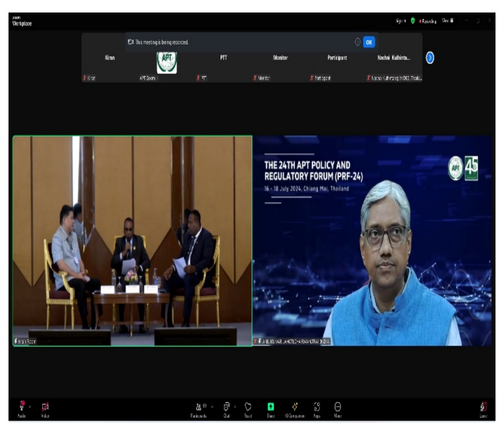

- भादूविप्रा के अध्यक्ष ने दिनांक 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशियाई सदस्य राज्यों के साथ दक्षिण एशिया के लिए आईटीयू क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र परामर्श बैठक को भी संबोधित किया।

विविध

➢ भादूविप्रा ने दिनांक 26.07.2024 को ऑपरेटर सहायता प्राप्त ड्राइव टेस्ट (ओएडीटी) की रिपोर्ट जारी की, जो मार्च-2024 को समाप्त तिमाही के लिए बीस शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों और राजमार्गों जैसे आदिलाबाद, अमरेली, अयोध्या शहर, अयोध्या से लखनऊ राजमार्ग, भोपाल से दिल्ली रेलवे मार्ग, दार्जिलिंग, ढेंकनाल, पूर्वी गोदावरी, जयपुर शहर, जयपुर से सोहना (हरियाणा) राजमार्ग, कलबुर्गी, कासरगोड, केवडिया से डाकोरजी राजमार्ग मार्ग, कोहिमा-त्सेमिन्यु-

वोखामोकोकचुंग-जुन्हेबोटो, नागालैंड, नांदेड़, उत्तर और मध्य अंडमान, राजकोट-अमरेली-राजुला राजमार्ग, तुरा और रेसुबेलपारा, मेघालय, वडोदरा शहर में आयोजित किए गए थे।

- भादूविप्रा ने वायरलेस सेवाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट हेतु एजेंसी को अंतिम रूप दिया।

- जनवरी 2011 से देश में संसाधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अनुरोधों के 100 करोड़ (1 बिलियन) के आंकड़े को पार करने के लिए दिनांक 6 जुलाई 2024 को मील का पत्थर हासिल करने पर 26.07.2024 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

- दिनांक 24.07.2024 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 12 के अंतर्गत एक्सेस प्रदाताओं को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें दूरसंचार वाणिज्यिक उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रेषकों और अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

दूरसंचार सब्सक्रिप्शन

दिनांक 30 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा :

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	635.00	32.13	667.13
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	535.53	2.98	538.51
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	**1170.53**	**35.11**	**1205.64**
समग्र दूरसंचार-घनत्व(%)	83.45	2.50	85.95
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.25	91.51	55.33
ग्रामीण सब्सक्राइबर्स का हिस्सा (%)	45.75	8.49	44.67
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन)	898.92	41.83	940.75

जून 2024 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबर 1061.04 मिलियन थे।

जून 2024 में एमएनपी के लिए 11.84 मिलियन सब्सक्राइबर अनुरोध किए गए। इसके कार्यान्वयन के बाद से जून 2024 के अंत तक, कुल 997.44 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया।

उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (एससीओपी)/उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए:

क्र. सं.	स्थान	दिनांक
1	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा नरसापुर (आंध्र प्रदेश)	5 जुलाई, 2024
2	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा राजसमंद (राजस्थान)	19 जुलाई, 2024
3	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा तिरुचिरापल्ली (त्रिची) तमिलनाडु	25 जुलाई, 2024
4	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा हज़ारीबाग़ (झारखंड)।	25 जुलाई 2024
5	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु द्वारा डोम्बिवली (महाराष्ट्र)	25 जुलाई 2024

फोटो गैलरी

भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने दिनांक 5 जुलाई 2024 को नरसापुर (आंध्र प्रदेश) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2024 को राजसमंद (राजस्थान) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया गया।

भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने दिनांक 25 जुलाई 2024 को तिरुचिरापल्ली (त्रिची) तमिलनाडु में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने दिनांक 25 जुलाई 2024 को हजारीबाग (झारखंड) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु ने दिनांक 25 जुलाई 2024 को डोंबिवली (महाराष्ट्र) में एक (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजन किया।

इस न्यूजलेटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन डेटा आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

4, 5, 6 और 7वीं मंजिल, टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली--110029

हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं! हमसे ***https://www.facebook.com/TRAI/*** *से जुड़ें!*

हम ट्विटर पर भी हैं! हमें ***TRAI@TRAI*** *पर फॉलो करें*

******